

Final NOC

Print

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/78760/SHR/SAHARANPUR/1051/CFO

दिनांक : 09-04-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SUNRISE ACADEMY** पता -, G T ROAD SARAI MALIYAN DEOBAND, SAHARANPUR तहसील - DEOBAND प्लॉट एरिया 5488.57 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 876.74 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BUILDING	2	0	7.46 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SUNRISE ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 10-04-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **NATHI RAM** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि 10-04-2023 से 09-04-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SUNRISE ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SUNRISE ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : As per FSSO Deoband report.....1- Fire safety installed in good working condition. 2- शासनादेश संख्या:-18/छ:- पु0-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 दिनांक: 07.01.2022 के अनुसार सैटबैक की अनिवार्यता एवं तदुसार उपलब्धता के संबंध में निर्णय संबंधित सत्ताप्राधिकारी द्वारा बिल्डिंग बाईलाज के अनुसार लिया जायेगा। अतः यह आख्या उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सत्ता प्राधिकारी के निर्णयाधीन दी जा रही है। पूर्व में घटित अग्निकांडों का अवलोकन करने के पश्चात् समय समय पर भवन का इलेक्ट्रिक लोड ऑडिट कराया जाना आवश्यक है। जिससे अग्नि दुर्घटना होने की संभावना को कम किया जा सके।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

PRATAP SINGH

3915405AF02BAD4FE9CC32D94894E333C28CF67D

10-04-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 10-04-2023

स्थान : SAHARANPUR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.